

2


निवासीय स्थिति एवं कुल आय का क्षेत्र [RESIDENCE AND SCOPE OF TOTAL INCOME]

अध्ययन के परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय के अध्ययन के बाद, आप समर्थ होंगे :

- ❑ विभिन्न व्यक्तियों की निवासीय स्थिति का निर्धारित करने के लिए प्रावधानों की सह-सराहना करने में।
- ❑ विभिन्न व्यक्तियों की निवासीय स्थिति के निर्धारित मुख्य प्रावधानों को लागू करने में।
- ❑ निवासीय स्थिति के आधार पर आय के क्षेत्र की जाँच करने में।
- ❑ एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति के आधार पर कुल आय का निर्धारण करने वाले मुख्य प्रावधानों को लागू करना।

अध्याय अवलोकन (Chapter Overview)




1. निवासीय स्थिति (धारा 6) [Residential Status (Section 6)]

किसी करदाता पर कर का भार आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है।

आय-कर के सभी उद्देश्यों के लिए करदाताओं को निम्न तीन व्यापक श्रेणियों में उनकी निवासीय स्थिति के आधार पर बांटा गया है :

- (1) निवासी और साधारण निवासी
- (2) निवासी परन्तु असाधारण निवासी
- (3) अनिवासी।



एक करदाता की निवासीय स्थिति सम्बन्धित गतवर्ष के संदर्भ में निर्धारित करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो किसी वर्ष में निवासी और साधारण निवासी है, आने वाले वर्ष में अनिवासी या असाधारण निवासी बन सकता है या इसके विपरीत हो सकता है। आगे करदाताओं की निवासीय स्थिति के निर्धारण हेतु प्रावधान दिये गए हैं :

1.1 व्यष्टियों की निवासीय स्थिति (Residential status of Individuals)

धारा 6(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी गतवर्ष में भारत में निवासी माना जाता है, यदि वह निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो :

- (i) वह गतवर्ष के दौरान, कुल 182 या अधिक दिनों के लिए भारत में रहा है, या,
- (ii) उस गतवर्ष से तुरन्त पूर्व के चार वर्षों के दौरान, 365 दिन या अधिक की कुल अवधि के लिए भारत में रहा है तथा गतवर्ष में भी कम से कम 60 दिन अवश्य रहा है।

यदि व्यष्टि उपर्युक्त दो शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वह निवासी है। दोनों शर्तें पूरी न होने पर वह अनिवासी है।

टिप्पणी (Note) :

- (a) 'भारत में ठहरना' वाक्यांश में भारत के जल क्षेत्र (भारतीय तट रेखा से समुद्र में 12 नॉटिकल मील) में ठहरना शामिल है। यहां तक कि पोत में या भारत के जल क्षेत्र में मंडराती नौका में ठहरना भी किसी व्यक्ति को भारत में निवासी बनाने के लिए पर्याप्त है।
- (b) यह आवश्यक नहीं है कि ठहरने की अवधि निरन्तर या सक्रिय हो और न ही यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने निवास, कारोबार या रोजगार के सामान्य स्थान पर ठहरे।
- (c) भारत में ठहरने के दिनों की गणना के उद्देश्य के लिए, भारत में आगमन और भारत से प्रस्थान, दोनों तिथियों को गणना में लिया जाएगा।
- (d) आय-कर उद्देश्य के लिए, किसी व्यक्ति के निवास स्थान का उसकी नागरिकता, जन्म स्थान और निवास स्थान से कोई संबंध नहीं है। अतः कोई व्यक्ति, एक से अधिक देशों का निवासी हो सकता है जबकि उसका निवास स्थान एक ही हो।

अपवाद (Exceptions) :

व्यक्तियों की निम्नांकित श्रेणियों को निवासी केवल तभी माना जाएगा जब उनके ठहरने की अवधि सम्बन्धित गतवर्ष में 182 दिन हो। अन्य शब्दों में, यदि ऐसे व्यक्ति भले ही चार पूर्व वर्षों के दौरान 365 दिन भारत में रहे हों और सम्बन्धित गत वर्ष में 60 दिन रहे हों किंतु उन्हें निवासी नहीं माना जाएगा :

- (1) ऐसे भारतीय नागरिक, जो किसी गतवर्ष में भारतीय पोत दल के सदस्य के रूप में या भारत से बाहर रोजगार के उद्देश्य के लिए, भारत छोड़कर चले गये हैं।
- (2) ऐसे भारतीय नागरिक या भारतीय मूल¹ के व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी रोजगार, व्यवसाय, पेशे या किसी अन्य व्यवसाय में लगे हैं और किसी गतवर्ष में वे भारत आए हों।

दल का सदस्य होने के नाते, एक भारतीय नागरिक के लिए भारत में रहने की अवधि कैसे निर्धारित होगी? (How to determine period of stay in India for an Indian citizen, being a crew member?)

विदेशी बाध्य जहाजों के मामले हैं जहाँ समुद्र यात्रा का गंतव्य भारत के बाहर है, दल का सदस्य होने के नाते एक भारतीय नागरिक के लिए भारत में रहने की अवधि का निर्धारण करने के तरीके और आधार के बारे में अनिश्चितता है।

एक अनिश्चितता को हटाने के लिए, धारा 6(1) की व्याख्या 2 बताती है कि एक व्यक्ति होने के मामले में, भारत का नागरिक या भारत छोड़कर जाने वाले विदेशी बाध्य जहाज के दल का सदस्य होने के नाते, भारत में रहने की अवधि या अवधियाँ, उस समुद्र यात्रा के सम्बन्ध में, निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित की जाएंगी।

तदनुसार, **CBDT** अधिसूचना संख्या 70/2015 दिनांक 17.08.2015 को ऐसे मामले में भारत में रहने की अवधि की गणना करने के लिए आयकर नियमन 1962 में नियम 126 सन्निविष्ट करता है।

¹ एक व्यक्ति को भारतीय मूल का कहा जायेगा, यदि वह या उसके माता-पिता या उसके पूर्वज का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था।

धारा 6(1) के उद्देश्य के लिए, नियम 126 के अनुसार, व्यक्ति के मामले में, जहाज के दल का सदस्य होने और भारतीय नागरिक होने के नाते, योग्य समुद्र-यात्रा के सम्बन्ध में, भारत में रहने की अवधि या अवधियों में निम्नलिखित अवधि सम्मिलित नहीं की जाएगी।

अवधि को अपवर्जित किया गया

से शुरू की अवधि		अवधि समाप्त होने पर
उस व्यक्ति के योग्य समुद्र यात्रा में शामिल होने के सम्बन्ध में लगातार प्रमाणपत्र में प्रवेश होने की तिथि	और	ऐसी समुद्र यात्रा के सम्बन्ध में जहाज से उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में निरन्तर निर्वहन प्रमाण-पत्र में प्रवेश की तारीख

कुछ शब्दों का अर्थ (Meaning of certain terms)

	शब्द	अर्थ
(a)	लगातार निर्वहन प्रमाण पत्र	इस शब्द का अर्थ व्यापारी शिपिंग अधिनियम 1958 के तहत बने व्यापारी शिपिंग (निरन्तर निर्वहन प्रमाण-पत्र सह समुद्री शैक्षिक पहचान पत्र) नियमन 2001 में दिया गया है
(b)	योग्य समुद्र-यात्रा	परिवहन में लगे जहाज द्वारा की गयी एक समुद्र यात्रा अगर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों और भाड़ा जहाँ—
		(i) भारत के किसी भी बंदरगाह से शुरू होने वाली यात्रा के लिए, भारत के बाहर किसी भी बंदरगाह के गंतव्य के रूप में है और
		(ii) भारत के बाहर किसी भी बंदरगाह शुरू होने वाली यात्रा के लिए, भारत के किसी भी बंदरगाह के गंतव्य के रूप में है।

उदाहरण (Illustration) 1

श्री आनन्द एक भारतीय नागरिक है और 6 जून, 2019 को चेन्नई बंदरगाह से प्रस्थान करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में यात्री के परिवहन में लगे सिंगापुर के एक भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य हैं। गत्-वर्ष 2019-20 के निम्नलिखित विवरणों से, करनिर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री आनन्द की निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए, मान लीजिए कि आखिरी 4 गत् वर्षों (गत्-वर्ष 2019-20 से पहले) में 400 दिन और आखिरी 7 गत्-वर्षों (गत्-वर्ष 2019-20 से पहले) में 750 दिन भारत में रहते हैं।

विवरण	तिथि
श्री आनन्द द्वारा जहाज में शामिल होने के सम्बन्ध में लगातार निर्वहन प्रमाण-पत्र में दाखिल होने की तिथि	6 जून, 2019
श्री आनन्द द्वारा जहाज से उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में निरन्तर निर्वहन प्रमाण-पत्र में दाखिल होने की तिथि	9 दिसम्बर, 2019

हल (Solution)

इस मामले में, भारत समुद्र में एक बंदरगाह से होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में समुद्र यात्रा के परिवहन में लगे एक भारतीय जहाज द्वारा यात्रा की जाती है (अर्थात् चेन्नई बन्दरगाह) और उसका गंतव्य भारत के बाहर स्थित बंदरगाह पर होता है (अर्थात् सिंगापुर बंदरगाह पर) अतः समुद्र यात्रा धारा 6(1) के उद्देश्य के लिए योग्य समुद्र यात्रा होगी।

इस प्रकार, 6 जून, 2019 से शुरू होने और 9 दिसम्बर, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि, श्री आनन्द द्वारा जहाज से हस्ताक्षर करने और जहाज में शामिल होने के सम्बन्ध में निरन्तर निर्वहन प्रमाण-पत्र में शामिल होने की तिथि के नाते, एक भारतीय नागरिक जो जहाज के दल का सदस्य होता है, उसके भारत में रहने की अवधि की गणना करते समय शामिल नहीं होगा। तदनुसार, 187 दिन (25 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 9) उसके भारत में निवास की अवधि में शामिल नहीं होगा। इसलिए, श्री आनन्द के 2019-20 के दौरान भारत में रहने की अवधि 179 दिन (अर्थात् 366 दिन-187 दिन) होगी चूंकि गत वर्ष 2019-20 के दौरान उसकी भारत में रहने की अवधि 182 दिनों से कम होगी, इसलिए करनिर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वह गैर-निवासी होता है।

ध्यान दें (Note)—चूंकि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री आनन्द की निवासीय स्थिति गत वर्ष 2019-20 में रहने के दिनों की संख्या के तदनुसार 182 दिनों से कम होने के नाते "गैर-निवासी" होती है, उनकी पिछले गत वर्षों में रहने की अवधि व्यर्थ होगी।

निवासी एवं साधारण निवासी/निवासी परन्तु असाधारण निवासी अनिवासी (Resident and ordinarily resident/ Resident but not ordinarily resident)

केवल 'व्यष्टि' और हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में निवासी परन्तु असाधारण निवासी हो सकता है। करदाताओं के अन्य सभी वर्ग निवासी या अनिवासी होते हैं। 'असाधारण निवासी' वह व्यक्ति है, जो धारा 6(6) में वर्णित निम्नांकित में से कोई एक शर्त पूरी करे :

- (i) यदि ऐसा व्यक्ति प्रासंगिक गतवर्ष से पूर्व के दस वर्षों में से कम-से-कम 9 वर्ष तक भारत में अनिवासी रहा हो, अथवा
- (ii) प्रासंगिक गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 729 दिन अथवा कम दिन भारत में रहा हो।

नोट—सरल शब्दों में, कोई व्यक्ति निवासी एवं 'साधारण निवासी' कहा जायेगा यदि वह निम्नांकित दोनों शर्तें पूरी करता है :

- (i) यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित गतवर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम-से-कम 2 वर्षों में भारत में निवासी रहा है, और
- (ii) ऐसा व्यक्ति संबंधित गतवर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा है।

यदि कोई व्यष्टि उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करता है तो वह निवासी और साधारण निवासी है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता या केवल एक शर्त पूरी करता है, तो वह व्यक्ति 'निवासी परन्तु असाधारण निवासी' है।

उदाहरण (Illustration) 2

ब्रेट ली, एक आस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी, प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिनों के लिए भारत आते हैं। पिछले 10 वित्त वर्षों से उनका ऐसा क्रम चल रहा है। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी निवासीय स्थिति का निर्धारण कीजिए।

हल (Solution)

कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री ब्रेट ली की निवासीय स्थिति का निर्धारण

गतवर्ष 2019-20 में भारत में रहने की अवधि = 100 दिन

गतवर्ष से पिछले 4 वर्षों में रहने की स्थिति $(100 \times 4) = 400$ दिन

2018-19	100 दिवस
2017-18	100 दिवस
2016-17	100 दिवस
2015-16	100 दिवस
योग	400 दिवस

चूँकि श्री ब्रेटली गतवर्ष 2019-20 में 60 दिन से अधिक एवं गतवर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन से अधिक भारत में रहे हैं। अतः वह धारा 6(1) मूल शर्तों में से एक शर्त पूरी करते हैं। अतः कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वह 'निवासी' हैं।

गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में भारत में रहने के दिनों की गणना $= 100 \times 7 = 700$ दिवस

2018-19	100 दिवस
2017-18	100 दिवस
2016-17	100 दिवस
2015-16	100 दिवस
2014-15	100 दिवस
2013-14	100 दिवस
2012-13	100 दिवस
कुल	700 दिवस

चूँकि गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में भारत में रहने की अवधि 730 दिन से कम है, अतः निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, वह 'असाधारण निवासी' हैं। **(नोट देखें)**

Therefore, Mr. Brett Lee is a resident but not ordinarily resident during the previous year 2019-20 relevant to the assessment year 2020-21.

नोट (Note)—असाधारण निवासी व्यक्ति ऐसा करदाता होता है जो धारा 6(6) में वर्णित अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है अथवा कोई शर्त पूरी नहीं करता है अर्थात्

- (i) यदि ऐसा व्यक्ति गतवर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से न्यूनतम 9 वर्ष के लिए भारत में अनिवासी था एवं,

(ii) ऐसा व्यक्ति, गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर भारत में 729 दिवस अथवा कम दिवस रहा है।

प्रश्नगत मामले में, श्री ब्रेटली (ii) शर्त पूरी करते हैं, वह निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वह 'अनिवासी' है।


उदाहरण (Illustration) 3

मि. B एक कनाडा के नागरिक हैं जो गतवर्ष 2015-16 में पहली बार भारत आते हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 वह क्रमशः 55, 60, 90, 150 तथा 70 दिनों के लिए भारत में रहे। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निवासीय स्थिति की गणना करें।

हल (Solution)

गतवर्ष 2019-20 में मि. B 70 दिनों के लिए तथा पूर्व 2019-20 के पूर्व के 4 वर्षों में वह 355 दिन (55 + 60 + 90 + 150) दिन के लिए भारत में थे।

इस प्रकार वह धारा 6(1) के प्रावधान को सन्तुष्ट नहीं करते। इसलिए गतवर्ष 2019-20 के लिए वह अनिवासी है।



1.2 हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति (Residential Status of HUF)

निवासी (Resident) : एक हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में निवासी है यदि उसके क्रियाकलापों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण अंशतः या पूर्णतः भारत में स्थित है।

आनिवासी (Non-Resident) : यदि उसके क्रियाकलापों का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित है तो वह आनिवासी माना जाएगा।

“नियन्त्रण तथा प्रबन्ध” शब्द का अर्थ (Meaning of term "control & Management")

- नियन्त्रण तथा प्रबन्ध शब्द की अर्थ अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है। इसका अर्थ है केन्द्रीय नियन्त्रण तथा प्रबन्ध न कि सेवकों कर्मचारियों या एजेन्टों द्वारा दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय को चलाया जाना।
- ऐसा सम्भव है कि व्यवसाय तथा उसका सम्पूर्ण भाग भारत के बाहर चलाया जाता है, लेकिन फिर भी उस व्यवसाय का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध पूरी तरह भारत में स्थित हो। अतः व्यवसाय का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध उस स्थान से होता है जहाँ उपक्रम का मस्तिष्क स्थित होता है।
- नियन्त्रण का स्थान व्यवसाय के सामान्य परिचालन के स्थान से अलग हो सकता है तथा करदाता के पंजीकृत कार्यालय से भिन्न भी हो सकता है क्योंकि यह जरूरी है कि किसी एक व्यवसाय का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध व्यवसाय के स्थान अथवा करदाता के पंजीकृत कार्यालय से ही किया जाये।
- लेकिन नियन्त्रण और प्रबन्ध कुछ हद तक स्थानीयता के साथ किसी-किसी विशेष स्थान पर नियन्त्रण और निर्देशन शक्ति के काम को दर्शाता है।

निवासी और साधारण निवासी/निवासी परन्तु असाधारण निवासी (Resident and ordinarily resident/Resident but not ordinarily resident)

यदि निवासी HUF निम्नलिखित शर्तों (जैसा कि व्यक्ति के मामले में लागू होता है) को पूरा करता है; तो निवासी HUF निवासी और साधारण निवासी होगा, अन्यथा वह निवासी होगा परन्तु साधारण निवासी नहीं होगा।

- निवासी HUF का कर्ता सम्बद्ध पिछले वर्ष के पहले 10 वर्षों में कम-से-कम 2 पिछले वर्ष में निवासी होना चाहिए।
- सम्बद्ध पिछले वर्ष के ठीक पहले 7 वर्ष के दौरान कर्ता का रहना 730 दिन या उससे अधिक होना चाहिए।

उदाहरण (Illustration) 4

एक हिन्दू अविभाजित परिवार के व्यापार का नियन्त्रण तथा उसके समस्त नीतिगत निर्णय ऑस्ट्रेलिया में लिए जाते हैं। मि. E जिनका जन्म कोलकाता में हुआ है तथा जो हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता भी हैं 15 वर्ष बाद गतवर्ष 2019-20 में भारत में भ्रमण के लिए आते हैं। वह 1.4.2019 को भारत आते हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के लिए 1.12.2019 को प्रस्थान कर देते हैं। करनिर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मि. E तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए।

1.3 फर्मों और व्यक्तियों के संघ की निवासीय स्थिति (Residential status of firms and association of persons)

निवासी (Resident)—कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ भारत में निवासी होंगे यदि उनके क्रियाकलापों का नियंत्रण और प्रबन्ध पूर्णतः भारत में स्थित है।


गैर-निवासी (Non resident)—जहाँ क्रियाकलापों का नियन्त्रण और प्रबन्ध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है वहाँ फर्म अनिवासी होगी।

1.4 कम्पनियों की निवासीय स्थिति (Residential status of companies)—एक कम्पनी को भारत में कोई भी गत वर्ष में निवासी माना जाता है। यदि—

- (i) यह एक भारतीय कम्पनी है, या
- (ii) उस वर्ष के दौरान इसके व्यवसाय का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध पूरी तरह भारत में स्थित है।

“प्रभावी प्रबन्ध का स्थान” का अर्थ एक ऐसे स्थान से है जहाँ एक इकाई के व्यापार के संचालन के लिये महत्वपूर्ण प्रबन्धन और व्यावसायिक निर्णय जरूरी हैं। [धारा 6(3) के स्पष्टीकरण]

**कम्पनी की निवासीय स्थिति का निर्धारण
(Determination of Residential Status of a Company)**



ध्यान दें : एक कम्पनी के लिए परिवर्तन काल क्रियाविधि जो भारत के बाहर स्थापित हुआ है, जो अध्याय XII-BC में निर्धारित, POEM के आवेदन के कारण पहली बार निवासी बनी है और जो पहले कभी कर के लिए निर्धारित नहीं की गयी है। उसे अन्तिम स्तर पर समझाया जाएगा।

1.5 स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों की निवासीय स्थिति (Residential status of local authorities and artificial juridical persons)

निवासी (Resident)—स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भारत में निवासी होंगे यदि उनके क्रियाकलापों का नियंत्रण और प्रबन्ध पूर्णतः या अंशतः भारत में स्थित है।

अनिवासी (Non resident)—जहाँ इसके क्रिया-कलापों का नियन्त्रण और प्रबन्ध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित हो, वहां से अनिवासी हो जाएँगे।

2. कुल आय का क्षेत्र (Scope of Total Income)

अधिनियम की धारा 5 करदाता के निवास स्थान के सन्दर्भ में कुल आय का अर्थ बताती है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के कर का भार उसके निवासीय स्तर पर निर्भर करता है।

करदाता की कुल आय का क्षेत्र तीन महत्वपूर्ण तथ्यों पर निर्भर करता है यथा

- (i) करदाता की निवासीय स्थिति (जैसाकि पहले बताया गया है);
- (ii) आय की प्राप्ति या उपार्जन का स्थान, भले ही वास्तविक हो या माने गए हों; तथा
- (iii) समय का बिन्दु जहाँ आय करदाता द्वारा या उसके लिये उपार्जित या प्राप्त की गई हो।

करदाताओं के तीन श्रेणियों की कुल आय का क्षेत्र निम्नांकित होगा :

(1) निवासी तथा साधारण निवासी (Resident and ordinarily resident)

एक निवासी करदाता की कुल आय में धारा 5(1) के अन्तर्गत निम्नांकित का समावेश होगा :

- (i) गतवर्ष में भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय;
- (ii) गतवर्ष में भारत में उपार्जित या उदय हुई समझी गयी आय; तथा
- (iii) ऐसी आय जो भारत से बाहर उपार्जित तथा उदय होती है भले ही गतवर्ष में वह भारत में प्राप्त न की जाये या न लाई जाये।

सरल शब्दों में, 'निवासी और साधारण निवासी' को भारत में या भारत के बाहर उपार्जित या समझी गई, प्राप्त की गई या प्राप्त की गई समझी, कुल आय पर कर देना होगा।

(2) निवासी परन्तु असाधारण निवासी (Resident but not ordinarily resident)

धारा 5(1) के अंतर्गत एक व्यक्ति की कुल आय की गणना जो भारत का निवासी परन्तु असाधारण निवासी है, ठीक वैसे ही होती है जैसे कि निवासी तथा साधारण निवासी के सम्बन्ध में। परन्तु भारत के बाहर अर्जित या उदय हुई आय, उसकी कुल आय में शामिल नहीं की जाती। लेकिन, जहाँ आय भारत में स्थापित किसी पेशे या भारत से नियन्त्रित किसी व्यवसाय से अर्जित की जाती है तो ऐसी आय को उसकी कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए भले ही वह भारत के बाहर उपार्जित या उदय हो।

(3) अनिवासी (Non-resident)

धारा 5(2) के अन्तर्गत एक अनिवासी की कुल आय में शामिल है :

- (i) गतवर्ष में भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय; तथा
- (ii) आय जो गतवर्ष के दौरान भारत में उपार्जित या उदय हुई है या उपार्जित या उदय हुई मानी गयी है।

टिप्पणी : सभी करदाता चाहे निवासी हों या न हों, भारत में उपार्जित, उदय हुई या प्राप्त हुई, उपार्जित समझी गयी या प्राप्त होने वाली आय, कर योग्य होती है। जबकि निवासी को ऐसी सभी आयों पर भी कर देना होता है, जो उसको भारत के बाहर प्राप्त या उपार्जित अथवा उदय होती है।

भारतीय बैंक के साथ बनाए गये NRE (विदेशी अनिवासी) खाते में पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले गैर-निवासी नाविक को भारत में आयकर के दायित्व के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 13/2017, दिनांक 11.04.2017 तथा परिपत्र संख्या 17/2017, दिनांक 26.04.2017]
 एक विदेशी जहाज (भारतीय ध्वज या विदेशी ध्वज के साथ) पर भारत से सम्बन्धित सेवा के लिए, भारतीय बैंक के साथ बनाये NRE खाते में गैर निवासी नाविक द्वारा प्राप्त वेतन के माध्यम से आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

निवासी स्थिति और कुल आय का क्षेत्र : क्या कुल आय में निम्नलिखित आय शामिल की जानी चाहिए ?

कुल आय का क्षेत्र	निवासी और साधारण निवासी	निवासी लेकिन असाधारण निवासी	गैर-निवासी
पिछले गत वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गयी आय	हाँ	हाँ	हाँ
पिछले गत वर्ष के दौरान भारत में उपार्जित या अर्जित और उपार्जित या अर्जित मानी गयी आय	हाँ	हाँ	हाँ
भारत के बाहर उपार्जित या अर्जित आय	हाँ, चाहे गत वर्ष के दौरान वह आय भारत में प्राप्त या लायी गयी न हो	हाँ, यदि आय भारत में पेशेवर स्थिति से या व्यवसाय से नियंत्रित से अर्जित हो; अन्यथा नहीं	नहीं

उदाहरण (Illustration 5)

श्री अनिरुद्ध ने 31-3-2020 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नांकित विवरणों से उसकी करनिर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 'कुल आय' की गणना कीजिए :

- (i) निवासी और साधारण निवासी
- (ii) निवासी लेकिन असाधारण निवासी
- (iii) गैर-निवासी

	विवरण	(₹)
(a)	भारतीय कम्पनी के अंशों के विक्रय से जर्मनी में प्राप्त लाभ	15,000
(b)	जापानी कम्पनियों से जापान में प्राप्त लाभांश	10,000
(c)	लन्दन स्थित मकान सम्पत्ति से किराया जिसे लन्दन की बैंक में जमा कराया गया जिसे बाद में अनुमोदित बैंकिंग माध्यम से भारत भेज दिया गया	75,000
(d)	RP Ltd. एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश	6,000
(e)	गुजरात स्थित भूमि से कृषि आय	25,000

हल (Solution)

(कर-निर्धारण वर्ष 2020-21) के लिए श्री अनिरुद्ध की कुल आय की गणना

	विवरण	निवासी एवं साधारण निवासी (₹)	निवासी लेकिन असाधारण निवासी नहीं (₹)	अनिवासी (₹)
(i)	भारतीय कम्पनी अंशों के विक्रय से जर्मनी में प्राप्त लाभ	15,000	15,000	15,000
(ii)	जापानी कम्पनी से जापान में प्राप्त लाभांश	10,000	—	—
(iii)	लंदन स्थित मकान सम्पत्ति से किराया जिसे लंदन स्थित बैंक में जमा करा दिया गया (नोट 1)	52,500	—	—
(iv)	RP Ltd. भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश (नोट 2)	—	—	—
(v)	गुजरात स्थित कृषि भूमि से आय (नोट 3)	—	—	—
	कुल आय	77,500	15,000	15,000

नोट :

- (1) यह माना गया है कि सम्पत्ति का प्राप्त किराया ही सकल वार्षिक मूल्य है। अतः धारा 24 के अधीन 30% की मानक कटौती घटायी गयी है और शुद्ध आय जिसे खाते में निवासी या सामान्य निवासी की कुल आय निर्धारित करने के साथ गणना करने के लिए लिया जाता है।

	₹
प्राप्त किराया (सकल वार्षिक मूल्य)	75,000
घटाओ : धारा 24 में 30% की कटौती (75000 का 30%)	22,500
मकान सम्पत्ति से आय	52,500


- (2) धारा 10(34) के अधीन भारतीय कम्पनी प्राप्त लाभांश ₹ 10 लाख तक कर मुक्त है।
 (3) धारा 10(1) के अधीन कृषि आय कर मुक्त है।

2.1 “प्राप्त आय या प्राप्त समझी जाने वाली आय” से आशय (Meaning of “Income received or deemed to be received”)

प्रत्येक करदाता प्रत्येक उस आय पर कर के लिए दायी है, जो उसे भारत में प्राप्त होती है या प्राप्त हुई समझी जाती है। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि :

- (i) करदाता की निवासीय स्थिति क्या है, और
 (ii) आय का उपार्जन स्थान क्या है?

कोई आय सकल आय में उसी क्षण शामिल कर ली जाती है जब उसकी वास्तविक प्राप्ति हो या प्राप्त समझी जाए। आय की प्राप्ति से आशय उस प्रथम अवसर से है जब प्राप्तकर्ता उस राशि पर अधिकार पा लेता है। इसलिए जब एक राशि एक बार आय के रूप में प्राप्त कर ली जाती है, उसके बाद उसका एक स्थान से दूसरे स्थान या अन्य व्यक्ति को प्रदान या हस्तान्तरित करने पर उस दूसरे स्थान या व्यक्ति के हाथ में आय नहीं मानी जाती।



2.2 'उपार्जित' तथा 'उदय' होनी वाली आय का अर्थ (Meaning of Income 'Accruing' and 'Arising')

शब्द 'उपार्जित' से तात्पर्य आय पाने के अधिकार से है जबकि 'देय' से तात्पर्य उस अधिकार से है जो उसे भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण के लिये वेतन के मामले में दिसंबर में किये गये हर दिन के लिए वेतन उपार्जित होता है लेकिन देय होता है वेतन बिल पास होने पर, 31 दिसंबर या 1 जनवरी को।

वैसे ही सरकारी प्रतिभूति के मामले में देय ब्याज धारण अवधि में दिन प्रतिदिन उपार्जित होता है, लेकिन भुगतान के लिये देय होता है एक निश्चित तिथि को ही।

उदाहरण : सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज सामान्यतया निर्दिष्ट तिथियों को देय होता है जैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई। ऐसे सभी मामलों में ब्याज 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक उपार्जित होना कहा जायेगा तथा भुगतान के लिए यह 1 जनवरी को देय होगा।

यह तथ्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक आय जो कि एक बार उपार्जन के आधार पर करयोग्य हो चुकी हो, वह आय प्राप्ति के आधार पर पुनः करयोग्य नहीं हो सकती, क्योंकि यह दोहरा कराधान होगा।

किसी आय पर करारोपण से सम्बन्धित कठिनाइयों एवं संशय को समाप्त करने के लिये धारा 5 के स्पष्टीकरण 1 में विशेष रूप में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई आय जो कि भारत के बाहर उपार्जित एवं उदित हुई हो, केवल इसलिये कि वह भारत में तैयार किये गये आर्थिक चिट्ठे में सम्मिलित की गई है, भारत में प्राप्त हुई नहीं समझी जायेगी।

धारा 5 का स्पष्टीकरण 2 यह स्पष्ट करता है कि एक आय जो उपार्जित या उपार्जित हुई समझने पर करदाता की आय में एक बार सम्मिलित करके करयोग्य बना दी जाती है ऐसी आय किसी

भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी गयी आयों के प्रकार निम्न हैं—

(1) कोई आय जो भारत के बाहर किसी स्थान पर किसी स्थान पर करदाता को उपार्जित या उदय हो रही है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (Any income accruing or arising to an assessee in any place outside India whether directly or indirectly)

- (a) भारत के किसी व्यावसायिक सम्बन्ध के द्वारा या उनके माध्यम से
- (b) भारत में किसी अधिकार (Property) के द्वारा या माध्यम से
- (c) भारत में किसी सम्पत्ति या आय के स्रोत या माध्यम से
- (d) भारत में स्थित किसी पूँजीगत सम्पत्ति के अन्तरण के माध्यम से [धारा 9 (i) (i)]
- (a) व्यापारिक सम्बन्ध क्या है? (What is Business Connection?)

व्यापारिक सम्बन्ध में वह गतिविधि सम्मिलित होगी जो किसी व्यक्ति के माध्यम से गैर-निवासी के लिए की जाती है। [धारा 9 (1) (i) का स्पष्टीकरण 2]


व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, व्यक्ति गैर-निवासी के माध्यम से अभिनय करने वाले व्यक्ति पर—

- (i) गैर निवासी की तरफ से अनुबन्ध समाप्त करने के लिए एक अधिकार होना चाहिए, जिसका भारत में आदतन अभ्यास किया जाता हो। या
 - आदतन अनुबन्ध को समाप्त करता है या उस गैर निवासी द्वारा अनुबन्ध के निष्कर्ष तक पहुँचने वाली प्रमुख भूमिका निभाता है और ऐसे अनुबन्ध
 - गैर निवासी के नाम पर होना चाहिए; या
 - स्वामित्व के हस्तान्तरण के लिए, या उपयोग करने का अधिकार देने के लिए, उन अनिवासी द्वारा स्वामित्व वाली सम्पत्ति या गैर निवासी को उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए या
 - उस अनिवासी द्वारा सेवाओं के प्रावधान के लिए।
- (ii) ऐसे मामले में, जब उसको इस प्रकार का अधिकार नहीं है, लेकिन अभ्यास के अनुसार माल या सेवा का रहतिया रखता है जिससे वह गैर-निवासी के आधार पर निरंतर माल और सामग्री का विवरण करता है, या
- (iii) गैर-निवासी के लिए मुख्यतः या पूर्णतः अभ्यास के अनुसार भारत में आदेशों को प्राप्त करता है।

इसके अतिरिक्त स्थिति ऐसी भी हो सकती है जिसमें गैर निवासी के आधार पर अभिनय करने वाला व्यक्ति किसी अन्य गैर-निवासी के लिए आदेश प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में, अन्य गैर-निवासी के लिए व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं यदि,

- (a) वह अन्य गैर-निवासी, गैर-निवासी को नियन्त्रित करता हो या
- (b) वह अन्य गैर-निवासी, गैर-निवासी द्वारा नियन्त्रित होता हो या
- (c) वह अन्य गैर-निवासी, गैर निवासी के समान नियन्त्रित होता है।

तीन स्थितियों में व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित है, जहाँ एक व्यक्ति ने अभ्यासानुसार इस प्रकार के गैर निवासी के लिए मुख्यतः तथा पूर्णतः भारत में आदेश प्राप्त किया है।



स्वतंत्र स्थिति वाला एजेंट व्यावसायिक सम्बन्ध में शामिल नहीं होता है (Agent having independent status are not included in business connection)

इस प्रकार, व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित नहीं होगा, जब एक निवासी अपना व्यापार किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या किसी अन्य स्वतन्त्र एजेंट के माध्यम से क्रियान्वित करता है, यदि ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में यह कार्य कर रहा है।

किसी दलाल, साधारण कमीशन एजेंट या अन्य एजेंट की स्वतन्त्र स्थिति तभी मानी जायेगी यदि वे एक अनिवासी के लिए पूर्णतः और मुख्यतः कार्य नहीं करते।

यद्यपि उपर्युक्त तीन स्थितियों में उन्हें स्वतन्त्र स्थिति का नहीं माना जाएगा, जहां ऐसे अनिवासी द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है।

जहाँ व्यवसाय उपर्युक्त (a) के (i), (ii), (iii) में वर्णित व्यक्ति द्वारा भारत में चलाया जाता हो, आय का वह भाग जो भारत में चलाए जा रहे क्रियाकलापों से सम्बन्धित हो को भारत में उपार्जित या उदय हुआ माना जाएगा।

महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति : [खण्ड 9(1)(i) के लिए स्पष्टीकरण 2A] {Significant economic presence [Explanation 2A to Section 9(1)(i)]

भारत में एक गैर निवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति भारत में व्यापार सम्बन्ध भी स्थापित करेगी।

महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति का आशय :

	लेन-देन की प्रकृति	शर्त
(a)	भारत में किसी अनिवासी द्वारा किए गये किसी भी माल, सेवाओं या सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारत में डाटा डाउनलोड करने या सॉफ्टवेयर के प्रावधान सहित	पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के लेन-देन या लेन-देन से उत्पन्न भुगतानों की कुल राशि निर्धारित राशि से अधिक है।
(b)	व्यावसायिक गतिविधियों की व्यवस्थित और निरन्तर माँग या डिजीटल माध्यमों से भारत में उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत में शामिल होना	उपयोगकर्ता का इस तरह का नम्बर होना चाहिए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

भारत में 'राजस्व' और "उपभोगकर्ता" की सीमा रेखा निर्धारित की जाएगी। आगे उपर्युक्त लेन-देन या गतिविधियाँ भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति का गठन करेगी, चाहे या नहीं—

- (i) इस तरह के लेन-देन या गतिविधियों के लिए समझौता भारत में दर्ज किया गया है।
- (ii) गैर निवासी के पास भारत में निवास या व्यवसाय का स्थान है। या,
- (iii) भारत में गैर-निवासी सेवा प्रदान करता है।

हालांकि, जहाँ भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के कारण एक व्यापार सम्बन्ध स्थापित किया गया है। उपर्युक्त (A) या (B) में निर्दिष्ट लेन-देन या गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होने वाली आय का केवल इतना ही हिस्सा भारत में अर्जित करने के लिए समझा जाएगा।

यद्यपि, अनिवासी की स्थिति में निम्नलिखित को भारत में व्यावसायिक सम्बन्ध नहीं माना जाएगा [धारा 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1] [In the case of a non-resident, the following shall not, however, be treated as business connection in India [Explanation 1 to section 9(1)(i)]:

- (i) व्यवसाय की स्थिति में, जिसके सम्बन्ध में सभी कार्य भारत में नहीं किये जाते हैं [धारा 9(1) (i) का स्पष्टीकरण 1] : गैर निवासी की स्थिति में, भारत में निर्याप्त के लिए, जो माल के क्रय तक सीमित है, किसी आय को उसके लिए भारत में अर्जित या उपार्जित नहीं माना जाएगा।

- (ii) निर्यात के लिए भारत में माल का क्रय (स्पष्टीकरण 1(b) से धारा 9(1)(i) तक) {Purchase of goods in India for export [Explanation 1(b) to section 9(1)(i)]} : गैर निवासी के मामले में, कोई भी आय जो निर्यात के उद्देश्य के लिए क्रय किये गए माल या उसके संचालन से अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय को, आय नहीं माना जायेगा।
- (iii) भारत के बाहर संचरण के लिए भारत में समाचारों और विचारों का संग्रह [धारा 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1(c)] : गैर निवासी के मामले हैं, एक समाचार एजेंसी चलाने या समाचार पत्र पत्रिकाओं या जनरलों को प्रकाशित करने के व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति होने के नाते, भारत के बाहर संचरण करने के लिए, जो भारत में समाचारों और विचारों का संग्रहण करने तक सीमित हैं, किसी आय को उसके लिए भारत में अर्जित या उपाजित नहीं माना जाएगा।
- (iv) भारत में सिनेमाघर फिल्म की शूटिंग [धारा 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1(d)] : गैर निवासी की स्थिति में, उन कार्यों से, जो भारत में सिनेमाघर फिल्म को शूटिंग तक सीमित है, किसी आय को भारत में अर्जित या उपाजित नहीं माना जाएगा यदि वह गैर-निवासी
- (a) एक व्यक्ति है, जो भारत का नागरिक नहीं है ; या
- (b) एक फर्म जिसका कोई साझेदार भारत का नागरिक नहीं है या भारत में निवासी नहीं है; या
- (c) एक कम्पनी, जिसका कोई अंशधारक भारत का नागरिक या भारत में निवासी नहीं है।
- (v) SNZs में खुरदुरा हीरा (Rough diamond) दिखाने तक सीमित क्रियाएँ [धारा 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1 (e)] : विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में (SNZs) बिना तराशा हुआ हीरा (बिना छटनी या बिक्री के बिना प्रदर्शन की गतिविधि करने के लिए FMCs को सुविधाजनक बनाने के लिए, धारा 9 (1) (i) के स्पष्टीकरण 1 में खण्ड (e) को सम्मिलित किया गया है हीरे के खनन के व्यापार में व्यस्त विदेशी कम्पनी के मामले में बताया गया है कि उन क्रियाकलापों के माध्यम से भारत में अर्जित या उपाजित आय नहीं मानी जाएगी जो केन्द्र सरकार द्वारा या उसके आधार पर सरकारी गजट में विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिना तराशा हुआ या खुरदुरा हीरा दिखाने तक सीमित है।
- (b) और (c) भारत में सम्पत्ति या आय के स्रोत से आय (Income from property, asset or source of Income in India)
ऐसी आय जो किसी भारतीय सम्पत्ति (चल, अचल, मूर्त और अमूर्त) से हो, भारत में उपाजित या उदित हुई मानी जाएगी;

उदाहरण :

- (i) भारत में स्थित मशीन या भवन के प्रयोग के लिए भारत के बाहर चुकाया गया किराया,
- (ii) भारतीय कम्पनी में जमा पर ब्याज जो भारत के बाहर प्राप्त किया जाए।

(d) भारत में पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण से आय (Income through transfer of a Capital asset Situated in India)

भारत में स्थित किसी पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ सभी मामलों में भारत में उपार्जित या उदय हुए माने जायेंगे। इस तथ्य के बावजूद कि (i) पूँजीगत सम्पत्ति चल, अचल, मूर्त या अमूर्त है, (ii) हस्तान्तरण के प्रपत्र का पंजीकरण का स्थान भारत में है या बाहर, (iii) हस्तान्तरण हेतु प्रतिफल के भुगतान का स्थान भारत में है या भारत के बाहर।

तदनुसार, अभिव्यक्ति “के माध्यम से” का अर्थ होगा और इसमें शामिल होना चाहिए और इसे हमेशा के लिए माना जाएगा इसके परिणामस्वरूप “या “के कारण” शामिल होगा।

[धारा 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 4]

आगे, किसी सम्पत्ति या पूँजीगत सम्पत्ति को कम्पनी में अंश या ब्याज या पंजीकृत या भारत के बाहर स्थापित होने वाली इकाई होने के नाते, यदि ब्याज और अंश उत्पन्न होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, भारत में स्थापित सम्पत्ति से वास्तव में मूल्य उत्पन्न होता है तो इसे भारत में स्थापित माना जाएगा या समझा जाएगा। **[धारा 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 5]**

भारत के बाहर विदेशी कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा (Declaration of dividend by a foreign company)—भारत में स्थित किसी भी अन्तर्निहित सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। परिपत्र संख्या 4/2015, दिनांक 26-03-2015, इसलिए, स्पष्ट करता है विदेशी कम्पनी द्वारा भारत के बाहर भुगतान किया गया और घोषित लाभांश उन अंशों के सम्बन्ध में जो भारत में स्थापित सम्पत्तियों से काफी हद तक मूल्य उत्पन्न करती है, धारा 9(1)(i) के प्रावधानों के अनुसार भारत में अर्जित या उपार्जित आय नहीं माना जाएगा।

(2) भारत में अर्जित किये गये वेतन से आय [धारा 9(1)(ii)] [Income from Salaries earned in India {Section 9(1)(ii)}]

आय, जो शीर्ष “वेतन” के तहत आती है, भारत में अर्जित या उपार्जित मानी जाएगी, यदि वे भारत में प्राप्त की गयी है। भारत में प्रतिपादित सेवा के लिए दिया गया वेतन भारत में प्राप्त की तरह माना जाएगा।

आगे, बची हुई अवधि या छुट्टी की अवधि के लिए “वेतन” शीर्ष के तहत देय कोई आय, जो कि भारत में दी गयी सेवा से पहले या बाद में, और रोजगार के अनुबन्ध की सेवा का भाग बनते हैं, भारत में प्राप्त की गयी आय की तरह माना जाएगा।

(3) भारत के बाहर दी गयी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा देय वेतन से आय [धारा 9(1)(iii)] [Income from salaries payable by the Government for Services Rendered outside India { section 9(1)(iii)}]

भारत के नागरिक का भारत के बाहर दी गयी सेवाओं के लिए “वेतन” से आय जो सरकार द्वारा देय है भारत में अर्जित या उपार्जित मानी जाएगी।

इस प्रकार, सरकार द्वारा धारा 10(7) के अनुसार भारत के बाहर दिया गया भत्ता और अनुलाभ मुक्त होगा।

उदाहरण (Illustration) 6

श्री डेविड, जो भारतीय विदेश मंत्रालय में सेवारत कर्मचारी हैं, प्रथम बार दि. 31-03-2019 को, कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्यालय में, स्थानान्तरण के कारण भारत छोड़ते हैं। वह गत वर्ष 2019-20 के दौरान भारत नहीं आया। गत वर्ष 2019-20 के लिये उनकी निम्नांकित आय हैं :

	विवरण	₹
(i)	वेतन	5,00,000
(ii)	विदेश भत्ता	4,00,000
(iii)	भारतीय बैंकों में स्थायी जमा पर ब्याज	1,00,000
(iv)	पाकिस्तान स्थित भूमि से कृषि आय	2,00,000
(v)	पाकिस्तान स्थित मकान सम्पत्ति से आय	2,50,000

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सकल कुल आय की गणना करें।

उत्तर (Answer)

धारा 6(1) के अनुसार श्री डेविड कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिये अनिवासी करदाता हैं, क्योंकि सम्पूर्ण गतवर्ष 2019-20 में वह भारत में किसी समय भी नहीं रहे हैं।

धारा 5(2) के अनुसार, 'अनिवासी' करदाता के लिये, निम्नांकित आय करयोग्य है :

(i) भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त हुई मानी गयी आय; एवं

(ii) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई अथवा उपार्जित अथवा उदय हुई मानी गयी आय

उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत पाकिस्तान स्थित कृषि भूमि एवं मकान सम्पत्ति से आय, श्री डेविड के लिये करयोग्य नहीं होगी, यह मानते हुए कि इनकी प्राप्ति भी पाकिस्तान में हुई है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को विदेश में प्रदान सेवा के लिये, दिया गया वेतन धारा 9(1)(iii) के अनुसार भारत में उपार्जित एवं उदय हुआ माना जाता है।

अतः ऐसी आय श्री डेविड के लिये करयोग्य है, भले ही गत वर्ष 2018-19 में वह अनिवासी हैं। यह मान लिया गया है कि श्री डेविड भारतीय नागरिक हैं।

तथापि, भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को विदेश में प्रदत्त सेवाओं के लिये भत्ते एवं अनुलाभ धारा 10(7) के अनुसार करमुक्त है। अतः धारा 10(7) के अनुसार ₹ 4,00,000 का विदेश भत्ता श्री डेविड के लिये करमुक्त है।

सकल कुल आय की गणना—कर-निर्धारण वर्ष 2020-21

विवरण	(₹)
वेतन से आय	5,00,000
अन्य साधनों से आय; (भारत स्थित बैंकों में स्थायी जमा पर ब्याज)	1,00,000
सकल कुल आय	6,00,000

(4) भारत के बाहर एक भारतीय कम्पनी द्वारा लाभांश का भुगतान [धारा 9(1)(iv)]
[Dividend Paid by a Indian Company outside India {Section 9(1)(iv)}]

भारतीय द्वारा सभी लाभांशों का भुगतान भारत में अर्जित या उपार्जित माना जाएगा। (लाभांश की कर योग्यता विस्तार में इकाई 5 के अध्याय 4 में चर्चित) धारा 10(34) के तहत, धारा 115-O में सन्दर्भित लाभांश से आय अंशधारक के हाथ में कर मुक्त होती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 115-O के तहत लाभांश वितरण कर (Dividend distribution Tax) धारा 115BBDA के तहत माने गये लाभांश पर लागू नहीं होता है।

(5) ब्याज [धारा 9(1)(v)] [Interest {Section 9(1)(v)}]

धारा 9(1)(v) के अन्तर्गत ऐसा ब्याज भारत में उपार्जित हुआ या उदित हुआ समझा जाएगा यदि यह निम्नांकित द्वारा भुगतान किया जाता है :

(i) सरकार द्वारा।

(ii) एक निवासी भारतीय

अपवाद : इन मामलों को छोड़कर, जहाँ ऐसी ब्याज, उस व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर चलाये जा रहे किसी व्यवसाय या पेशे हेतु या भारत से बाहर किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करने हेतु लिये गये ऋण की राशि के सम्बन्ध में देय हो।

(iii) किसी अनिवासी व्यक्ति द्वारा, यदि ऐसा ब्याज उस व्यक्ति द्वारा भारत में चलाये जा रहे किसी व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनार्थ लिये गये व प्रयोग किये गये ऋण या उधार की राशि के सम्बन्ध में देय है।

अपवाद (Exception) : कारोबार या पेशे से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनिवासी द्वारा उधार ली गई राशि पर ब्याज भारत में उपार्जित नहीं माना जाएगा।

उदाहरण

यदि अनिवासी 'A' अनिवासी 'B' से धन उधार लेता है और उसे किसी भारतीय कंपनी के अंशों में निवेश कर देता है तो 'A' द्वारा 'B' को देय ब्याज भारत में उपार्जित या उदित नहीं माना जाएगा।

(6) अधिकार-शुल्क [धारा 9(1)(vi)] [Royalty {Section 9(1)(vi)}]

ऐसा अधिकार-शुल्क भारत में उपार्जित या उदित हुआ माना जाएगा जब इसका भुगतान निम्नांकित द्वारा किया जाता है :

(i) सरकार द्वारा; या

(ii) एक निवासी भारतीय द्वारा

छोड़कर (Exception) : (उन मामलों को छोड़कर जहाँ अधिकार-शुल्क, भारत से बाहर चलाये जा रहे किसी व्यवसाय/पेशे हेतु; या भारत से बाहर किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करने हेतु प्रयुक्त किसी अधिकार, सम्पत्ति या सूचना या सेवा के सम्बन्ध में देय हो); या

- (iii) एक अनिवासी द्वारा उन मामलों में जहाँ अनिवासी द्वारा भारत में चलाये जा रहे व्यवसाय या पेशे हेतु, या, भारत में किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करने हेतु, प्रयुक्त किसी अधिकार, सम्पत्ति, सूचना या सेवा के सम्बन्ध में देय है।

महत्वपूर्ण बिन्दु (Important points)

- (1) एकमुश्त रॉयल्टी भारत में उपार्जित या उदित हुई नहीं मानी जायेगी (Lumpsum royalty not deemed to accrued arise in India) : कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात, सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण नीति, 1986 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अन्तर्गत, कम्प्यूटर हार्डवेयर के साथ एक अनिवासी उत्पादक द्वारा पूर्ति किये गये कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में, किसी या सभी अधिकारों के हस्तान्तरण हेतु, एक निवासी द्वारा किये गये एकमुश्त रॉयल्टी भुगतानों के माध्यम से आय भारत में उपार्जित या उदित हुई नहीं मानी जायेगी।

- (2) अधिकार शुल्क का अर्थ (Meaning of Royalty) : “अधिकार-शुल्क” शब्द का अर्थ है, निम्नांकित हेतु प्रतिफल (जिसमें कोई एकमुश्त प्रतिफल शामिल है लेकिन ऐसा प्रतिफल शामिल नहीं है जो पूँजीलाभों के रूप में करयोग्य है) :

- (i) एक पेटेन्ट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र, अथवा प्रक्रिया या ट्रेडमार्क अथवा ऐसी ही सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी या किन्हीं अधिकारों का हस्तान्तरण (जिसमें एक लाइसेंस की स्वीकृति भी शामिल है) ;
- (ii) किसी पेटेन्ट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र, या प्रक्रिया या ट्रेडमार्क या इसी तरह की सम्पत्ति के कामकाज या उपयोग के सम्बन्ध में किसी सूचना को प्रदान करना;
- (iii) किसी पेटेन्ट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या ट्रेडमार्क या इसी तरह की सम्पत्ति का प्रयोग।
- (iv) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव अथवा कौशल से सम्बन्धित कोई सूचना प्रदान करना;
- (v) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण² का प्रयोग या प्रयोग करने का अधिकार (धारा 44BB में व्यक्त राशियों का समावेश नहीं होगा)
- (vi) कॉपीराइट, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य, टेलीविजन के सम्बन्ध में प्रयोग हेतु फिल्म या वीडियो टेप अथवा रेडियो प्रसारण के सम्बन्ध में प्रयोग हेतु टेप के सम्बन्ध में सभी या किन्हीं अधिकारों का हस्तांतरण। (परन्तु इसमें सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के सम्बन्ध में प्रतिफल शामिल नहीं होगा।)
- (vii) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों के सम्बन्ध में कोई सेवा प्रदान करना।

इस प्रयोजन के लिए ‘अधिकार-शुल्क’ की परिभाषा पर्याप्त रूप से व्यापक है तथा यह औद्योगिक तथा कॉपीराइट दोनों प्रकार की रॉयल्टी को सम्मिलित करती है।

² लेकिन खनिज तेल के व्यावसायिक अन्वेषण इत्यादि में प्रवृत्त गैर निवासी के संदर्भ में धारा 44BB में निहित अनुमानित कर प्रावधानों वाली धनराशि सम्मिलित नहीं है, जिसका अंतिम स्तर पर सौदा किया जायेगा।

- (3) धारा 91(vi) के उद्देश्य के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग अथवा उपयोग के अधिकार के बदले प्रतिफल, रॉयल्टी माना जायेगा [Consideration for use or right to use of computer software is royalty within the meaning of section 9(1)(vi)]
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग अथवा उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल रॉयल्टी है क्योंकि किसी अधिकार, सम्पत्ति अथवा सूचना में सभी अथवा किसी अधिकार का अन्तरण शामिल एवं सदैव शामिल माना जायेगा कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग अथवा उपयोग के सभी अथवा किसी अधिकार का अन्तरण (जिसमें शामिल है अनुज्ञापन की स्वीकृति) भले ही ऐसा अधिकार किसी भी माध्यम द्वारा अन्तरित किया जाए।
- (4) किसी भी सम्पत्ति, अधिकारी या सूचना के सम्बन्ध में प्रतिफल—क्या यह रॉयल्टी है ? (Consideration in respect of any right, Property or information is It royalty ?) रॉयल्टी में शामिल है और हमेशा किसी अधिकारी, सम्पत्ति या जानकारी के सम्बन्ध में प्रतिफल है, चाहे या नहीं,
- (a) ऐसे अधिकारी, सम्पत्ति या जानकारी का अधिकारी या नियंत्रण दाता के साथ है;
- (b) ऐसा अधिकारी, सम्पत्तियां जानकारी दाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है;
- (c) उस अधिकारी, सम्पत्ति या जानकारी का स्थान भारत में होता है।
- (5) प्रक्रिया का अर्थ (Meaning of Process) : शब्द 'प्रक्रिया' में शामिल है और सदैव शामिल माना जायेगा, उपग्रह द्वारा संचारण, (जिसमें शामिल है up-linking, amplification, conversion for down linking of any signal) केबिल ऑप्टिक फाइबर अथवा इसी प्रकार की अन्य कोई तकनीकी, चाहे ऐसी प्रक्रिया गुप्त हो अथवा नहीं।

उदाहरण (Illustration) 7

श्री सोहम, एक भारतीय नागरिक, पहली बार सिंगापुर में सॉफ्टवेयर फर्म स्थापित करने के लिए 20.04.2017 को भारत छोड़ते हैं। 10.04.2019 को, वह LK लि. के साथ एक समझौते में प्रवेश करते हैं, जो एक भारतीय कम्पनी, तकनीकी दस्तावेजों और डिजाइनों के हस्तान्तरण और फरीदाबाद में एक ऑटोमोबाइल कारखाने की स्थापना करने के लिए वह 15.05.2019 को आवश्यक सेवा देने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे और 20.08.2019 को वह अपना काम पूरा करने में सक्षम थे। वह सिंगापुर के लिए 21.08.2019 को छोड़ते हैं। वह LK लि. से अपनी सेवाओं के लिए ₹ 50 लाख चार्ज करते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के श्री सोहम की निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए और जाँच कीजिए की LK लि. से चार्ज किया गया शुल्क आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर के लिए प्रभार्य होगा।

हल (Solution)

Determination of residential status of Mr. Soham

धारा 6(1) के अनुसार, एक व्यक्ति को गत वर्ष में निवासीय कहा जाएगा यदि वे निम्न शर्तों को पूर्ण करता है –

- (i) वह गत वर्ष के दौरान, कुल 182 या अधिक दिनों के लिए भारत में रहा है, या
- (ii) उस गतवर्ष से तुरन्त पूर्व के चार वर्षों के दौरान 365 दिन या अधिक की कुल अवधि के लिए भारत में रहा है तथा गतवर्ष में भी कम से कम 60 दिन अवश्य रहा है।

भारतीय नागरिक की स्थिति में जो गत-वर्ष के दौरान भारत के बाहर रोजगार के उद्देश्य के लिए भारत छोड़ता है या एक भारतीय नागरिक, जो भारत के बाहर है किसी गत-वर्ष में घूमने के लिए भारत आता है, उल्लिखित शर्त (ii) 2 गत-वर्ष के दौरान रहने की अवधि, निवासीय होने के रूप में, 60 दिनों की बजाय 182 दिन होगी।

इस स्थिति में, श्री सोहम, सिंगापुर में रहने वाले एक भारतीय नागरिक हैं, जो गतवर्ष 2019-20 के दौरान घूमने के लिए भारत आते हैं। घूमने में घूमने के दौरान उनकी भारत में रहने की अवधि केवल 99 दिन (अर्थात् 17 + 30 + 31 + 21 दिन) होती है। चूंकि गतवर्ष 2019-20 के दौरान उनकी भारत में रहने के दिन केवल 99 है, वह भारत में निवासी के रूप में रहने को न्यूनतम मानदण्ड को पूरा नहीं करते हैं। अतः कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी निवासीय स्थिति गैर-निवासी होगा।

आय की कर योग्यता (Taxability of Income)

धारा 5(2) के अनुसार, गैर-निवासी की स्थिति में, केवल आय प्रासंगिक गतवर्ष के दौरान जो अर्जित या उपार्जित या जो भारत में अर्जित या उपार्जित मानी गयी या जो भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गयी, भारत में कर योग्य मानी जायेगी।

इस मामले में श्री सोहम एक गैर-निवासी में, LK लि. एक भारतीय कम्पनी से चार्ज शुल्क फरीदाबाद में तकनीकी दस्तावेजों और डिजाइन का हस्तान्तरण एक ऑटोमोबाइल कारखाने की स्थापना करने के लिए। वह भारत में आवश्यक सेवा देते हैं जिसके लिए वह गतवर्ष 2019-20 के दौरान भारत में रहते हैं।

धारा 9(1)(vi) "रॉयल्टी" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है कि सभी कर्तव्यों के हस्तान्तरण के लिए, अन्यथा एक डिजाइन के सम्बन्ध में और इस तरह की गतिविधि के संबंध में सेवाओं के लिए/ उपयुक्त परिभाषा में कर्तव्यों के हस्तान्तरण में प्रयोग के लिए कर्तव्यों का हस्तान्तरण और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कर्तव्य भी सम्मिलित है। इस प्रकार, आवश्यक सेवा देने के लिए और डिजाइन और तकनीकी दस्तावेजों और सम्बन्धित हस्तान्तरण के लिए श्री सोहम द्वारा प्राप्त शुल्क "रॉयल्टी" की परिभाषा के तहत आएगा।

धारा 9 (1) (vi) के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा जो निवासी है देय रॉयल्टी के रूप में आय (इस मामले में, LK लि. एक भारतीय कम्पनी) गैर-निवासी (श्री सोहम इस मामले में) के हाथ में भारत में अर्जित या उपार्जित मानी जाएगी, सिवाय जहाँ ऐसी रॉयल्टी भारत के बाहर ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गए किसी व्यवसाय के प्रयोजन के लिए उपयोग किये गए किसी भी अधिकारी या सम्पत्ति या सूचना के सम्बन्ध में देय या भारत के किसी भी स्रोत से आय बनाने या आय अर्जित करने के उद्देश्य से देय हो।

इस मामले में, चूंकि श्री सोहम एक गैर-निवासी को भारतीय कम्पनी द्वारा देय रॉयल्टी, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं के उपयोग के सम्बन्ध में (नामत: फरीदाबाद में ऑटोमोबाइल कारखाना स्थापित करने के लिए) वे भारत में अर्जित या उपार्जित मानी जाएगी और अतः श्री सोहम, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गैर-निवासी, के हाथों में भारत में कर योग्य होगी।

(7) तकनीकी सेवाओं के लिये शुल्क [धारा 9(1)(vii)] [Fees for Technical Services (Section 9 (vii))]

किसी तकनीकी सेवा के लिये शुल्क को भारत में उपार्जित या उदित हुआ माना जाता है जब यह अग्रांकित द्वारा देय होता है :

- (i) सरकार द्वारा
- (ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत का निवासी है
छोड़कर (Exception) : (सिवाय उन मामलों के जहाँ शुल्क भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा चलाये जा रहे एक व्यवसाय या पेशे में प्रयुक्त तकनीकी सेवाओं के सम्बन्ध में देय होता है या भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय कमाने के उद्देश्यों हेतु देय होता है।)
- (iii) एक अनिवासी द्वारा देय तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क केवल उन मामलों में भारत में उपार्जित या उदय हुआ माना जायेगा जहाँ शुल्क भारत में अनिवासी द्वारा चलाये जा रहे व्यवसाय या पेशे में प्रयुक्त सेवाओं के सम्बन्ध में देय होता है या जहाँ ऐसी सेवाओं को भारत में किसी स्रोत से आय कमाने के उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाता है।

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का अर्थ है कोई प्रतिफल (एकमुश्त प्रतिफल सहित) जो किसी प्रबन्धकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाएं को प्रदान करने के लिए है (इसमें तकनीकी या अन्य कार्मिक सेवायें प्रदान करना सम्मिलित है)। यद्यपि इसमें सम्मिलित नहीं हैं, प्राप्तकर्ता द्वारा किये गये किसी निर्माण, संयोजन (assembling), खनन या समकक्ष परियोजनाओं के लिए प्रतिफल या ऐसा प्रतिफल जो प्राप्तकर्ता की वेतन शीर्षक आय में करयोग्य हो।

किसी अनिवासी को ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के अंतर्गत भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई आय करयोग्य होगी चाहे प्रादेशिक सम्बन्ध हो अथवा नहीं :

जहाँ धारा 9(1)(v)/(vi)/(vii) के अंतर्गत यदि कोई आय भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई मानी जाती है, तो वह आय अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित होगी,।

- (i) ऐसे अनिवासी का भारत में कोई निवास स्थान या व्यावसायिक स्थल अथवा व्यावसायिक सम्बन्ध हो या न हो।
- (ii) ऐसे अनिवासी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हों। या न की हों

वास्तव में ब्याज, अधिकार-शुल्क एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क आदि जैसी आय भारत में अर्जित एवं उपार्जित मानी जायेगी एवं अनिवासी की कुल आय में जोड़ी जायेगी भले ही ऐसी सेवाएं भारत में प्रदान की गई हों या नहीं।

उदाहरण (Illustration) 8

कृ. विविथा ने, कोलम्बो में अभ्यासरत प्रबन्ध परामर्शदाता श्री कुलश्रेष्ठ को नियोजन वित्त में परामर्श प्राप्त करने हेतु ₹ 5,000 US \$ की राशि का भुगतान किया। श्री कुलश्रेष्ठ अनिवासी हैं और उन्हें भुगतान कोलम्बो में प्राप्त हुआ है। वे भारत में किसी योजना में प्रस्तावित श्रीलंकाई सहयोग के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान कर रहे हैं। क्या श्री कुलश्रेष्ठ के लिए यह भुगतान भारत में करयोग्य है क्योंकि सेवाओं का उपयोग भारत में किया जा रहा है?

हल (Solution)

किसी अनिवासी को भारत से बाहर प्राप्त आय के सम्बन्ध में तभी करयोग्य माना जाता है यदि ऐसी आय भारत में उपार्जित अथवा उदय हो अथवा भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाए।

धारा 9 के अनुसार भारत में उपार्जित एवं उदय हुई आय में अन्य बातों के साथ, ऐसी आय शामिल है जो किसी ऐसी तकनीकी सेवा की फीस हो जो प्रबन्ध कार्य, तकनीकी एवं परामर्शी सेवा के प्रतिफल के रूप में हो। अतः किसी प्रबन्ध परामर्शी द्वारा परियोजना वित्त प्रबन्धन के लिए प्रदत्त सेवाओं के लिए किया गया भुगतान "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" के अन्तर्गत आता है।

धारा 9(2) का स्पष्टीकरण यह अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रतिस्थापित कर दिया गया है कि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस जो सेवाएँ भारत में उपयोग की जायेंगी किसी अनिवासी के लिए भारत में उपार्जित एवं उदय हुई मानी जाएंगी और उसकी कुल आय में शामिल की जाएंगी चाहे ऐसी सेवाएँ भारत में प्रदान की गयी हों अथवा नहीं।

प्रश्नगत मामले में, चूँकि सेवाओं का उपयोग भारत में किया गया है, अतः अनिवासी श्री कुलश्रेष्ठ को प्राप्त भुगतान राशि भारत में उनके लिए करयोग्य है, चूँकि यह भारत में उपार्जित एवं उदय हुई आय मानी गयी है।

(8) एक भारतीय निवासी द्वारा, एक गैर निगम, गैर निवासी या विदेशी कम्पनी को प्रदत्त कोई धनराशि [धारा 9(1)(viii)] {Any sum of money paid by a resident Indian to a non-corporate non-resident or foreign company [Section 9(1)(viii)]

भारत के बाहर अर्जित आय का बिना किसी विचार के एक भारतीय निवासी द्वारा 05-07-2019 को या उसके बाद गैर निगम, गैर निवासी या विदेशी कम्पनी को प्रदत्त कोई धनराशि के योग को भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जायेगा, यदि उसके समान धारा 56(2)(x) के अन्तर्गत कर हेतु आदेय है जो कि यदि गैर निगम, गैर निवासी या विदेशी कम्पनी द्वारा प्राप्त कुल धनराशि ₹ 50,000 से अधिक होती है। (आप अध्याय 4 की इकाई 5 का उल्लेख कर सकते हैं जहाँ प्राप्त कुल धनराशि की आदेयिता का विस्तृत रूप से व्याख्यान किया गया है।)

उदाहरण (Illustration) 9

कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति की जो 'निवासी और साधारण निवासी', 'निवासी परन्तु असाधारण निवासी' और 'अनिवासी' है उसकी कुल आय की गणना करें :

विवरण	₹
यू.के. विकास बॉण्ड पर ब्याज, 50% ब्याज भारत में प्राप्त	10,000
चेन्नई में कारोबार से आय (50% भारत में प्राप्त)	20,000
भारतीय कंपनी के अंशों की बिक्री पर लाभ, लंदन में प्राप्त	20,000
ब्रिटिश कंपनी से लाभांश, लंदन में प्राप्त	5,000
जर्मनी में संयंत्र की बिक्री से लाभ (50% लाभ भारत में प्राप्त)	40,000
दिल्ली से नियंत्रित जर्मनी में व्यवसाय से अर्जित आय (₹ 40,000 भारत में प्राप्त)	70,000
दिल्ली में कारोबार से लाभ किंतु पूर्णतया लंदन से प्रबंधित	15,000
लंदन में स्थित संपत्ति से प्राप्त किराया जिसे लंदन की भारतीय बैंक में जमा	

कराया गया (भारत में लाया गया)	50,000
भारतीय कंपनी के ऋणपत्रों का ब्याज लंदन में प्राप्त	12,000
भारत में प्रदत्त तकनीकी सेवाओं के लिए लंदन में प्राप्त फीस	8,000
मुम्बई स्थित कारोबार से लाभ जो लंदन से प्रबंधित है	26,000
पाकिस्तान में स्थित संपत्ति से आय, पाकिस्तान में प्राप्त	16,000
पूर्व वर्ष की आय जिस पर कर नहीं लगा है (गतवर्ष में भारत में लाई गई)	5,000
नेपाल में कृषि भूमि से आय (वहीं प्राप्त और फिर भारत में लाई गई)	18,000
केन्या में पेशे से आय, जिसे भारत में स्थापित किया गया था (केन्या में प्राप्त किंतु भारत में खर्च)	5,000
अपने विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहार	20,000
भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते का ब्याज	12,000
रूस में ऐसे कारोबार से आय जो रूस में ही नियंत्रित होता है	20,000
भारतीय कंपनी, रिलायंस पेट्रोलियम लि. से लाभांश	5,000
राजस्थान में भूमि से कृषि आय	15,000

हल (Solution)

कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कुल आय की गणना

विवरण	निवासी और साधारण निवासी	निवासी परन्तु असाधारण निवासी	अनिवासी
	₹	₹	₹
यू.के. विकास बॉण्ड पर ब्याज (50% ब्याज भारत में प्राप्त)	10,000	5,000	5,000
चेन्नई में कारोबार से आय (50% भारत में प्राप्त)	20,000	20,000	20,000
भारतीय कंपनी के अंशों की बिक्री पर लाभ, लंदन में प्राप्त	20,000	20,000	20,000
ब्रिटिश कंपनी से लाभांश, लंदन में प्राप्त	5,000	—	—
जर्मनी में संयंत्र की बिक्री से लाभ, 50% लाभ भारत में प्राप्त	40,000	20,000	20,000
दिल्ली से नियंत्रित जर्मनी में व्यवसाय से अर्जित आय (जिसमें से ₹ 40,000 भारत में प्राप्त)	70,000	70,000	40,000

दिल्ली में व्यवसाय से लाभ (पूर्णतया लंदन से प्रबंधित)	15,000	15,000	15,000
लंदन में संपत्ति से किराया (लंदन में भारतीय बैंक में जमा, भारत में लाया गया)	50,000	—	—
भारतीय कंपनी के ऋणपत्रों पर ब्याज (लंदन में प्राप्त)	12,000	12,000	12,000
भारत में प्रदत्त तकनीकी सेवाओं के लिए लंदन में प्राप्त फीस	8,000	8,000	8,000
लंदन से प्रबंधित मुम्बई स्थित व्यवसाय से लाभ	26,000	26,000	26,000
पाकिस्तान में स्थित संपत्ति से प्राप्त आय (वहीं प्राप्त गतवर्ष में भारत में लाई गई, पूर्व वर्षों की कर रहित आय)	16,000	—	—
विदेशी बिना कर चुकी भूत की आय जिसे गत वर्ष में भारत लाया गया			
नेपाल में कृषि भूमि से आय (वहीं प्राप्त और फिर भारत में लाई गई)	18,000	—	—
केन्या में पेशेगत आय (जिसे भारत में स्थापित किया गया था, वहीं प्राप्त किंतु भारत में खर्च)	5,000	5,000	—
विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहार (आय नहीं)	—	—	—
भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते का ब्याज	12,000	12,000	12,000
रूस में एक कारोबार से आय, रूस में ही नियंत्रित	20,000		
भारतीय कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम लि. से लाभांश (धारा 10(34) के अधीन छूट प्राप्त)	—	—	—
राजस्थान में भूमि से कृषि आय (धारा 10(1) के अधीन छूट प्राप्त)	—	—	—
कुल आय	3,47,000	2,13,000	1,78,000
घटाओ : धारा 80TTA में सकल कटौती (बचत खाते का ब्याज पर ₹ 10,000 अधिकतम कटौती)	10,000	10,000	10,000
कुल आय	3,37,000	2,03,000	1,68,000

अभ्यास
(EXERCISE)

प्रश्न (Question) 1

श्री राम एक भारतीय नागरिक हैं, जो कि 22-9-2019 को, जर्मनी की एक कम्पनी में अधिकारी के पद पर काम करने के लिए, पहली बार भारत छोड़ता है।

उसकी आयकर विधान, 1961 के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निवासीय स्थिति निर्धारित कीजिए।

उत्तर (Answer)

धारा 6(1) के अधीन किसी व्यक्ति को निवासी होने के लिए निम्नांकित में से किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है :

- वह गतवर्ष के दौरान, कुल 182 या अधिक दिनों के लिए भारत में रहा है।
- उस गतवर्ष से तुरन्त पूर्व के चार वर्षों के दौरान, 365 दिन या अधिक की कुल अवधि के लिए भारत में रहा है तथा गतवर्ष में भी कम-से-कम 60 दिन अवश्य रहा है।

ऊपर दिया गया (ii) भाग में ऐसे भारतीय नागरिक की स्थिति में, जो रोजगार के लिये गतवर्ष में भारत छोड़ता है, उसे 60 दिन के स्थान पर 182 दिन गतवर्ष में भारत में रहना आवश्यक है।

गतवर्ष 2019-20 में श्री राम (भारतीय नागरिक) भारत में 175 दिन (30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 22) ही रहे। वह 182 दिन की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं करते। चूँकि वह एक भारतीय नागरिक हैं और रोजगार हेतु वह भारत छोड़ते हैं, इसलिए धारा 6(1) के अधीन दूसरी शर्त उन पर लागू नहीं होती।

इसलिए वे कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अनिवासी हैं।

प्रश्न (Question) 2

श्री देय जो 1990 से अमेरिका में रह रहा है और 'अनिवासी' है दिनांक 1-4-2018 को भारत वापस आता है और यहीं स्थायी रूप से रह रहा है करनिर्धारण वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए उनकी निवासीय स्थिति क्या होगी?

उत्तर (Answer)

कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए श्री देय निवासी होंगे क्योंकि गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वह 365 दिन (182 दिन से अधिक) भारत में रहा है।

धारा 6(6) के अनुसार कोई व्यक्ति भारत में 'असाधारण निवासी' होगा यदि गत वर्ष में वह :

- गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 9 वर्ष वह अनिवासी रहा हो; अथवा
- गत वर्ष से पूर्व के तुरन्त पिछले सात वर्षों में वह 729 दिन या कम भारत में रहा हो।

यदि, वह उपर्युक्त दोनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करता है तो वह 'साधारण निवासी' होगा।

प्रश्नगत मामले में उपर्युक्त शर्तों को लागू करने पर गत वर्ष 2018-19 (A.Y. 2019-20) के लिए श्री दिवाकर असाधारण निवासी होगा।

गत वर्ष 2019-20 (A.Y. 2020-21) के लिए भी वह 'असाधारण निवासी' रहेगा क्योंकि इस वर्ष उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी करता है।

A.Y. 2019-20 निवासी लेकिन असाधारण निवासी नहीं

A.Y. 2020-21 निवासी लेकिन असाधारण निवासी नहीं।

प्रश्न (Question) 3

श्री रमेश एवं श्री सुरेश भाई हैं, वित्त वर्ष 2019-20 में उन्होंने निम्नांकित आय कमायी है। श्री रमेश 1996 से कनाडा में रह रहे हैं जबकि श्री सुरेश दिल्ली में रह रहे हैं। कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिये कुल आय की गणना कीजिए :

	विवरण	श्री रमेश (₹)	श्री सुरेश (₹)
1.	कनाडा विकास बॉण्ड्स पर ब्याज (केवल 50% भारत में प्राप्त)	35,000	40,000
2.	ब्रिटिश कम्पनी से लेनदेन में प्राप्त लाभांश	28,000	20,000
3.	नागपुर स्थित व्यवसाय से आय (लंदन से प्रबन्धित)	1,00,000	1,40,000
4.	भारतीय कम्पनी के अंशों के विक्रय से अल्पकालीन पूंजी लाभ (भारत में प्राप्त)	60,000	90,000
5.	चेन्नई स्थित व्यवसाय से आय	80,000	70,000
6.	भारत में प्रदत्त तकनीकी सेवाओं की फीस (कनाडा में प्राप्त)	1,00,000	—
7.	UCO Bank, दिल्ली में बचत खाते पर ब्याज	7,000	12,000
8.	आन्ध्र प्रदेश स्थित कृषि भूमि से आय	55,000	45,000
9.	भोपाल स्थित मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया	1,00,000	60,000
10.	जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	—	30,000

उत्तर (Answer)

श्री रमेश एवं श्री सुरेश की करयोग्य आय की गणना
(कर-निर्धारण वर्ष 2020-21)

क्रमांक	विवरण	श्री रमेश (अनिवासी) (₹)	श्री सुरेश (निवासी) (₹)
1.	कनाडा विकास बॉण्ड्स पर ब्याज (नोट 2)	17,500	40,000
2.	ब्रिटिश कम्पनी से लेनदेन में प्राप्त लाभांश (नोट 3)	—	20,000
3.	नागपुर स्थित व्यवसाय से आय (लन्दन से नियंत्रित)	1,00,000	1,40,000
4.	भारतीय कम्पनी के अंशों के विक्रय से अल्पकालीन पूंजी लाभ (नोट 2)	60,000	90,000
5.	चेन्नई स्थित व्यवसाय से आय (नोट 2)	80,000	70,000

6.	भारत में प्रदत्त तकनीकी सेवाओं की फीस (कनाडा में प्राप्त) (नोट 2)	1,00,000	—
7.	UCO Bank, दिल्ली में बचत खाते पर ब्याज (नोट 2)	7,000	12,000
8.	आंध्र प्रदेश स्थित कृषि भूमि से आय (नोट 4)	—	—
9.	भोपाल स्थित मकान सम्पत्ति से आय (नोट 5)	70,000	42,000
	सकल कुल आय	4,34,500	4,14,000
	घटाओ : अध्याय VI-A के अधीन कटौतियाँ :		
	धारा 80C-जीवन बीमा प्रीमियम	—	30,000
	धारा 80TTA-बचत बैंक खाते पर ब्याज (नोट 6)	7,000	10,000
	कुल आय	4,27,500	3,74,000

नोट (Notes) :

- श्री रमेश सन् 1996 से कनाडा में रह रहे हैं, अतः अनिवासी हैं। श्री सुरेश दिल्ली में रह रहे हैं, अतः निवासी हैं।
- निवासी करदाता की स्थिति में उसकी वैश्विक आय धारा 5(1) के अधीन कर योग्य होती है तथापि, धारा 5(2) के अनुसार, अनिवासी की स्थिति में केवल निम्नांकित आय ही करयोग्य होती है :
 - भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त मानी गयी आय; एवं
 - भारत में उपार्जित अथवा उदय अथवा उपार्जित अथवा उदय मानी गयी आय।
 अतः श्री रमेश के लिये भारत में प्रदत्त तकनीकी सेवाओं के लिये प्राप्त फीस करयोग्य है। यद्यपि वह अनिवासी है।
 क्रमांक 3, 4, 5 एवं 7 में संदर्भित आय श्री सुरेश एवं श्री रमेश दोनों के लिये करयोग्य है क्योंकि यह भारत में उपार्जित अथवा उदय है। कनाडा विकास बॉण्ड्स से ब्याज की आय सुरेश के लिये पूर्णतः करयोग्य है जबकि श्री रमेश के लिये प्राप्त आय का 50% ही कर योग्य है।
- लन्दन में ब्रिटिश कम्पनी से प्राप्त लाभांश श्री रमेश के लिये करयोग्य नहीं है क्योंकि यह भारत से बाहर उपार्जित एवं प्राप्त है। तथापि सुरेश को प्राप्त लाभांश करयोग्य है चूँकि वह निवासी है। धारा 10(34) के अधीन विमुक्ति विदेशी कम्पनी से लाभांश पर लागू नहीं है।
- भारत स्थित कृषि भूमि से आय निवासी एवं अनिवासी दोनों करदाताओं के लिए धारा 10(i) के अधीन करमुक्त है।
- मकान सम्पत्ति से आय

	श्री रमेश (₹)	श्री सुरेश (₹)
प्राप्त किराया	1,00,000	60,000
धारा 24 के अधीन मानक कटौती 30%	(-) 30,000	(-) 18,000
मकान सम्पत्ति से आय	70,000	42,000

भारत में घर की सम्पत्ति से शुद्ध आय भारत में होने वाली प्राप्ति और प्राप्ति के बाद से श्री रमेश और सुरेश दोनों के हाथों में कर योग्य होगी।

6. व्यक्ति करदाता की स्थिति में बैंक बचत खाते पर ब्याज धारा 80TTA के अधीन ₹ 10,000 तक करमुक्त है।

प्रश्न (Question) 4

“ब्याज, रॉयल्टी एवं तकनीकी की सेवाओं के लिये फीस से उपार्जित अथवा उदय हुई मानी गयी आय पर, निवासीय स्थिति से कोई सम्बन्ध बिना करारोपण होता है।”

उपर्युक्त कथन की सत्यता अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में विवेचना कीजिए।

उत्तर (Answer)

कथन सही है

धारा 9 के साथ दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, ब्याज, रॉयल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस, जो धारा 9(1) के वाक्य (v), (vi) एवं (vii) के अनुसार भारत में उपार्जित एवं उदय हुई मानी जाती है, अनिवासी की कुल आय में जोड़ी जायेगी भले ही :

- (i) अनिवासी का भारत में निवास अथवा व्यवसाय का स्थान अथवा व्यवसाय सम्बन्ध है; अथवा नहीं

- (ii) अनिवासी ने भारत में सेवा प्रदत्त की है, अथवा नहीं

वास्तव में फीस, रॉयल्टी एवं तकनीकी सेवाओं के लिये फीस जो भारत में प्रयुक्त सेवाओं के लिये है, अनिवासी करदाता के लिये भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जायेगी।

अतः उसकी कुल आय में शामिल की जायेगी, भले ही अनिवासी करदाता का गत वर्ष में भारत में कोई निवास, व्यावसायिक स्थान अथवा कोई व्यावसायिक सम्बन्ध हो अथवा नहीं।

प्रश्न (Question) 5

कारण सहित बताइए कि क्या निम्नांकित व्यवहारों पर प्राप्तकर्ता के लिये आयकर लागू होता है, अथवा नहीं :

- (i) केन्द्र सरकार द्वारा श्री जोन भारतीय नागरिक को भारत के बाहर प्रदत्त सेवाओं के लिये ₹ 7,00,000 वेतन का भुगतान किया गया है।
- (ii) भारत स्थित व्यापार के लिये किसी अनिवासी द्वारा भारत के बाहर से ₹ 5,00,000 ऋण पर ब्याज का भुगतान।
- (iii) श्री राम एक निवासी करदाता द्वारा डाकखाना बचत खाते पर ₹ 19,000 ब्याज प्राप्त किया।
- (iv) निवासी द्वारा अनिवासी को भारत के बाहर चलाये गये व्यवसाय के सम्बन्ध में अधिकार-शुल्क (रॉयल्टी) का भुगतान किया।
- (v) UK के वकील को ₹ 5,00,000 विधायी शुल्कों का भुगतान किया है, जिसने भारत आकर दिल्ली उच्च न्यायालय में किसी मामले की पैरवी की है।

उत्तर (Answer)

	करयोग्य / गैर करयोग्य	करयोग्य राशि (₹)	कारण
(i)	करयोग्य	6,50,000	धारा 9(1)(iii) के अनुसार भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को भारत के बाहर प्रदत्त सेवाओं के बदले चुकता वेतन भारत में उदित एवं उपार्जित माना जाता है अतः श्री जोन को भारत सरकार द्वारा चुकता वेतन भारत के बाहर प्रदत्त सेवाओं के बदले भारत में उदित एवं उपार्जित मानकर करयोग्य होगा क्योंकि प्राप्तकर्ता भारतीय नागरिक है। धारा 16(ia) के तहत ₹ 50,000 की मानक कटौती भी दी जायेगी।
(ii)	करयोग्य	5,00,000	धारा 9(1)(v)(c), के अनुसार अनिवासी द्वारा भारत में चलाये जा रहे किसी व्यवसाय के सम्बन्ध में भारत के बाहर लिये गये ऋण के लिये ₹ 5 लाख के ब्याज का भुगतान प्राप्तकर्ता के लिये भारत में उदित एवं उपार्जित माना जायेगा। अतः करयोग्य है।
(iii)	आंशिक करयोग्य	5,500	व्यक्तिगत खाते की स्थिति में डाकखाना बचत खाते पर ₹ 3,500 ताकि उपार्जित ब्याज धारा 10(15)(i) के अधीन करमुक्त है। शेष राशि ₹ 10,000 को धारा 80TTA के अधीन कुल आय की गणना करते समय कटौती प्राप्त होगी। बची ₹ 5,500, ₹ 19,000 – ₹ 3,500 – ₹ 1,000 कर योग्य है।
(iv)	करयोग्य नहीं	—	किसी निवासी द्वारा अनिवासी को ऐसे व्यवसाय के सम्बन्ध में रॉयल्टी का भुगतान जो भारत के बाहर चलाया जा रहा है, अनिवासी के लिये करयोग्य नहीं होगी बशर्ते कि ऐसी आय भारत में प्राप्त नहीं हुई है। धारा 9(1)(vi)(b) के अपवादों में यह एक अपवाद है।
(v)	करयोग्य	5,00,000	अनिवासी विधिवेत्ता को चुकता विधायी शुल्क का भुगतान जिसने भारत आकर दिल्ली उच्च न्यायालय में किसी वाद में प्रतिनिधित्व किया है, भारत में करयोग्य होगी, चूंकि यह भारत में उपार्जित एवं उदय हुई है। इसलिए, ब्रिटेन में गैर-निवासी वकील को भारत में भुगतान किए गए कानूनी शुल्क, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत का दौरा किया, भारत में कर योग्य होगा।

			ध्यान दें : चूंकि उन्होंने भारत में मामले का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए आय को भारत में अर्जित करना भी कहा जा सकता है।
--	--	--	--

हम पुनः दोहराएंगे
(LET US RECAPITULATE)

धारा 6 (भारत में निवास) [Section 6 (Residence in India)]			
(i)	व्यक्ति निवासी एवं साधारण निवासी/निवासी परन्तु असाधारण निवासी/अनिवासी [Individuals (Resident and ordinarily resident/Resident but not ordinarily resident/non-resident)]		
	व्यक्ति की निवासीय स्थिति का निर्धारण भारत में उसके ठहरने की अवधि के आधार पर किया जाता है।		
	मूल शर्तें (Basic conditions)		
	(i) गत वर्ष में न्यूनतम 182 दिन भारत में रहा हो; अथवा		
	(ii) गतवर्ष में न्यूनतम 60 दिन एवं गतवर्ष से पूर्व के चार वर्षों में न्यूनतम 365 दिन भारत में रहा हो।		
	तथापि, दूसरी शर्त निम्नांकित मामलों में लागू नहीं होती है :		
	(a) एक भारतीय नागरिक जो गतवर्ष में रोजगार के लिए भारत से बाहर जाता है अथवा किसी भारतीय जलयान पर चालक दल के सदस्य के रूप में जा रहा है तो उपर्युक्त (ii) में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन गिने जायेंगे।		
	(b) एक भारतीय नागरिक एवं भारतीय मूल का निवासी यदि गतवर्ष में भारत भ्रमण के लिए आता है तो उसे उपर्युक्त (ii) में 60 के स्थान पर 182 दिन गिने जायेंगे।		
	अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions)		
	(1) गतवर्ष से पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों में वह भारत में निवासी रहा हो;		
	(2) गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में न्यूनतम 730 दिन भारत में रहा हो।		
	निवासी एवं साधारण निवासी	निवासी परन्तु असाधारण निवासी	अनिवासी
	मूल शर्तों [(i) या (ii)] में से एक शर्त के साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें [(1) या (2)] पूरी करता हो।	मूल शर्तों [(i) या (ii)] में से न्यूनतम एक शर्त के साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें [(1) या (2)] पूरी न करता हो।	मूल शर्तों [(i) या (ii)] में से कोई शर्त पूरी न करता हो।

(ii)	HUFs निवासी एवं साधारण निवासी/निवासी परन्तु असाधारण निवासी/अनिवासी (Resident and ordinarily resident/Resident but not ordinarily resident/non-resident HUFs)	
	HUF भारत में निवासी होगा यदि इसके क्रियाकलापों का नियंत्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित है।	
	यदि इसके क्रियाकलापों का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतः भारत के बाहर स्थित है यह अनिवासी कहलायेगा।	
	यदि HUF निवासी है, तब कर्ता की स्थिति यह निर्धारित करेगी कि HUF निवासी एक साधारण निवासी है अथवा निवासी एवं असाधारण निवासी है।	
	यदि कर्ता दोनों अतिरिक्त शर्तों को संतुष्ट करता है [(1) और (2)] ऊपर दिये गये (1) में तब HUF निवासी एवं साधारण निवासी होगा अन्यथा, HUF भी निवासी परन्तु असाधारण निवासी होगा।	
(iii)	फर्म एवं AOPs (निवासी एवं अनिवासी) [Firms & AOPs (Resident/Non-resident)]	
	(i) कोई फर्म या AOP भारत में निवासी होगी यदि गत वर्ष में इसका प्रबन्ध एवं नियंत्रण पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित था।	
	(ii) यदि इसका प्रबन्ध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत के बाहर गत वर्ष में स्थित था इसको अनिवासी कहेंगे।	
(iv)	कम्पनी (निवासी/अनिवासी) [Companies (Resident/Non-resident)]	
	(i) कोई कम्पनी भारत में निवासी कहलायेगी यदि गतवर्ष में इसका प्रबन्ध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत में स्थित था;	
	(ii) यदि इसका प्रबन्ध एवं नियंत्रण पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भारत के बाहर गतवर्ष में स्थित रहा है, कम्पनी अनिवासी होगी।	
धारा 5 (कुल आय का क्षेत्र) [Section 5 (Scope of Total Income)]		
निवासी एवं साधारण निवासी	निवासी परन्तु असाधारण निवासी	अनिवासी
ऐसी आयें जो भारत में प्राप्त हुई हैं/प्राप्त हुई मानी जाएं/उपार्जित अथवा अर्जित हुई हैं/उपार्जित अथवा अर्जित मानी जाएं संक्षेप में सभी वैश्विक आय कर योग्य है।	ऐसी आयें जो भारत में प्राप्त हुईं/प्राप्त हुई मानी जाएं/उपार्जित/अर्जित हैं/उपार्जित या अर्जित मानी जाएं और ऐसी आयें जो भारत के बाहर ऐसे व्यवसाय से उपार्जित/अर्जित हैं जिसका नियंत्रण भारत से होता है अथवा भारत में स्थापित पेशे से भारत के बाहर उपार्जित/अर्जित है।	ऐसी आयें जो भारत में प्राप्त हुईं/प्राप्त हुई मानी जाएं अथवा उपार्जित/अर्जित/उपार्जित तथा अर्जित मानी जाएं।

आपके ज्ञान का परीक्षण (Test your Knowledge)

1. यदि अनिरुद्ध गतवर्ष 2019–20 में 181 दिन के लिए भारत में रहते हैं और वह तुरन्त पूर्व के चालू गतवर्ष के 10 वर्षों में से 9 वर्ष गैर-निवासी होते हैं और वह तुरन्त पूर्व के चालू गतवर्ष के सभी 4 वर्षों में 365 दिन और तुरन्त पूर्व के चालू गतवर्ष के सभी 7 वर्षों में 420 दिन भारत में रहते हैं, कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसकी निवासीय स्थिति होगी—
 - (a) निवासी और साधारण निवासी
 - (b) निवासी और असाधारण निवासी
 - (c) गैर-निवासी
 - (d) दी गयी जानकारी से निश्चित नहीं किया जा सकता
2. रमन हिन्दुस्तान लीवर लि. में कार्यरत है। वह 01.04.2019 से 27.09.2019 तक ₹ 40,000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त करते हैं। वह पद का परित्याग करते हैं और 01.10.2019 को पहली बार दुबई के लिए छोड़ते हैं और 01.10.2019 से 31.03.2020 तक ₹ 80,000 प्रति माह के बराबर वेतन प्राप्त करते हैं। उनके दुबई के खाते में अक्टूबर से दिसम्बर 2019 के लिए वेतन जमा किया जाता था और जनवरी से मार्च 2020 के लिए सीधे उनके बम्बई बैंक में जमा किया जाता था। वह उसके सम्बन्ध में कर देने के लिए उत्तरदायी होता है—
 - (a) हिन्दुस्तान लीवर लि. से भारत में प्राप्त आय,
 - (b) दुबई में और भारत में प्राप्त आय
 - (c) हिन्दुस्तान लीवर लि. से भारत में प्राप्त आय और सीधे भारत में जमा आय
 - (d) दुबई में प्राप्त आय
3. एक कम्पनी, गत वर्ष 2019–20 के लिए भारत में निवासी होगी, यदि
 - (a) यह एक भारतीय कम्पनी हो।
 - (b) वर्ष के दौरान इसके अधिकांश निर्देशक भारत के निवासी हैं।
 - (c) वर्ष के दौरान उसका प्रभावी प्रबन्धन का स्थान भारत में है।
 - (d) (a) और (c) दोनों।
4. लन्दन में अर्जित और यहाँ प्राप्त आय भारत में कर योग्य होगी, मामले में
 - (a) निवासी और केवल साधारण निवासी
 - (b) दोनों निवासी और साधारण निवासी अथवा निवासी लेकिन असाधारण निवासी

- (c) दोनों निवासी और गैर-निवासी
- (d) गैर-निवासी
5. आय जो भारत के बाहर अर्जित या उपार्जित होती है लेकिन सीधे भारत में प्राप्त होती है निम्न मामलों में कर योग्य होती है:—
- (a) निवासी और केवल साधारण निवासी
- (b) निवासी लेकिन असाधारण निवासी
- (c) गैर-निवासी
- (d) उपर्युक्त सभी
6. गैर-निवासी के नाम पर भारत में एजेंट द्वारा बातचीत किए गए अनुबंध से अर्जित आय, लेकिन ऐसे अनिवासी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा :
- (a) क्योंकि इस तरह की आय भारत में अर्जित या उत्पन्न होने के लिए समझा जाता है, भारत में कर योग्य हो।
- (b) भारत में कर योग्य नहीं है क्योंकि भारत में कोई व्यापार संबंध नहीं है।
- (c) भारत में कर योग्य होने पर ही भारत में प्राप्त किया जा सकता है।
- (d) क्योंकि इस तरह की आमदनी भारत में अर्जित होती है या उत्पन्न होती है, भारत में कर योग्य हो।
7. केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी सेवा के लिए भुगतान किया गया शुल्क निम्न मामलों में कर योग्य होगा—
- (a) निवासी और केवल साधारण निवासी
- (b) निवासी और केवल साधारण निवासी और निवासी लेकिन साधारण निवासी नहीं
- (c) गैर-निवासी
- (d) उपर्युक्त सभी
8. ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त भारतीय कम्पनी के अंशों की बिक्री पर लाभ निम्न स्थितियों में कर योग्य होगा—
- (a) निवासी और केवल साधारण निवासी
- (b) निवासी लेकिन असाधारण निवासी

- (c) गैर-निवासी
(d) उपर्युक्त सभी
9. कनाडा से नियन्त्रण कनाडा के व्यवसाय से आय निम्न मामलों में कर योग्य होगी—
(a) निवासी और केवल साधारण निवासी
(b) निवासी लेकिन असाधारण निवासी
(c) गैर-निवासी
(d) उपर्युक्त सभी
10. वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया कम्पनी से प्राप्त लाभांश आय, गत्वर्ष 2019–20 के दौरान भारत में लायी गयी कर योग्य होती है—इन मामले में—
(a) निवासी और केवल साधारण निवासी
(b) निवासी लेकिन असाधारण निवासी
(c) गैर-निवासी
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (Answer)

1. (b), 2. (b), 3. (d), 4. (a), 5. (d), 6. (a), 7. (d)
8. (d), 9. (a), 10. (d)